कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / मा–ब / 22803 / 2018 / दिनांक :20 / 07 / 2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक / माध्यमिक–प्रथम

विषय :– "राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2017" के लिए गठित की जाने वाली "जिला स्तरीय चयन समिति" के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधि नामित किए जाने बाबत।

प्रसंग :– शासन का पत्रांक : प.18(2) शिक्षा–2 / 2018 जयपुर दिनांक : 20.7.2018।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समसंख्यक पत्र दिनांक : 12.07.18 द्वारा आपको "राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2017" के लिए "जिला स्तरीय चयन समिति" द्वारा "राज्य स्तरीय चयन समिति" को वरीयतानुसार ऑन लाइन अग्रेषित किए जाने वाले प्रस्तावों की चयन प्रक्रिया बाबत अवगति प्रदान की गई थी । प्रासंगिक शासकीय निर्देशों द्वारा प्रत्येक जिले में इस हेतु गठित की जाने वाली "जिला स्तरीय चयन समिति" में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सम्बन्धित जिले में पदस्थापित **"जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)** को नामित किया गया है। जिन जिलों में प्रारम्भिक शिक्षा के दो जिला शिक्षा अधिकारी का क्षेत्राधिकार निर्धारित है, वहां"जिला स्तरीय चयन समिति" में **"जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा–प्रथम"** राज्य सरकार के अधिकृत प्रतिनिधि होंगे ।

उपर्युक्त शासकीय निर्देशों के क्रम में "जिला स्तरीय चयन समिति" का तत्काल गठन करते हुए पूर्व प्रदत्त निर्देशानुरूप वांछित कार्यवाही सम्पादित करवाएं एवं निर्धारित समयावधि में "राज्य स्तरीय चयन समिति" को वरीयतानुसार प्रथम तीन आवेदनों के प्रस्ताव ऑन लाइन अग्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें। "जिला स्तरीय चयन समिति" के गठन सम्बधी आदेश की प्रति आज ही आवश्यक रूप से इस कार्यालय की ई–मेल आईडी: secondarydd@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें तथा "राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2017" हेतु आधिकारिक वेबसाईट www.nationalawardtoteachers.com पर आपको उपलब्ध करवाये गये लॉगिन से लॉगिन कर "जिला स्तरीय चयन समिति" के सदस्यों की प्रविष्टि सुनिश्चित करावें।

उपर्युक्त निर्देशित कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए पूर्व निर्धारित समयावधि में सम्पादित करावें।

20/7/18

(मूलचन्द मीना)
उप निदेशक, (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान जयपुर ।
2. आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर गण ।
4. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
6. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त मण्डल उप निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक ।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक–द्वितीय।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक / प्रारम्भिक–प्रथम ।
10. रक्षित पत्रावली ।

उप निदेशक, (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर